573 प्रोजेक्ट को रेरा ने दिया नोटिस

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : बिहार रेरा में बिना निबंधन कराए बन रहे रियल इस्टेट प्रोजेक्ट को नोटिस जारी करने का काम शुरू हो गया है। बिहार रेरा ने पटना के 573 प्रोजेक्ट को नोटिस जारी किया है, जिसके निबंधन की जानकारी नहीं है। यह ऐसी परियोजनाएं हैं, जिनका निर्माण कार्य 2016 के बाद हुआ है। रेरा की नोटिस के बाद 158 प्रमोटरों ने जवाव भेजा है।

ऐसी सभी परियोजनाएं, जिनका निर्माण कार्य 2016 के बाद पूरा किया गया है अथवा शुरू हुआ है, उनका निबंधन आवंटियों के हितों की रक्षा के लिए रेरा में कराना अनिवार्य है। इसी उद्देश्य से पटना नगर निगम ने सर्वे कराया जिसके आधार पर 573 प्रोजेक्ट चिह्नित किए गए हैं। इस सर्वेक्षण में परियोजनाओं के निर्माण की तिथि अंकित नहीं है। ऐसे में सूची में अंकित सभी परियोजनाओं को नोटिस किया गया है, ताकि जो प्रोजेक्ट अनिबंधित हैं, उनका निबंधन किया जा सके। रेरा के अनुसार, सूची में कुछ ऐसी परियोजनाएं भी हैं, जिनमें प्रोमोटर का नाम और पता उपलब्ध नहीं है। वैसे सभी प्रमोटर्स को आम सूचना जारी कर सूचित किया गया है, ताकि वह भी अपना जवाब और साक्ष्य प्रस्तुत कर सकें।

101 मामलों को किया गया निस्तारित

बिहार रेरा ने ऐसे मामलों के निस्तारण के छह बिंदु भी निर्धारित किए हैं। ऐसे प्रोजेक्ट के प्रमोटरों से पूर्ण विक्रय विलेख मांगा गया है, जिससे पता चल सके कि फ्लैट आदि की बिक्री कब हुई। इसके अलावा बिजली बिल, वास्तुकार से पूर्णत: प्रमाण पत्र, सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी अधिभोग प्रमाण पत्र, परियोजना का स्वीकृत मानचित्र और अन्य दस्तावेज मांगा गया है। इन बिंदुओं पर साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर अब तक 101 मामलों को निस्तारित किया जा चुका है और इसकी सूचना भी संबंधित प्रमोटरों को भेजी जा चुकी है।